



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2014/अग्रहायण 04, 1936

No. 2388]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2014/AGRAHAYANA 04, 1936

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2014

का.आ. 2972(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सी. के. प्रसाद का नामनिर्देशन भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एम-22011/3/2014-प्रेस]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND
BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2014

S.O. 2972(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby notifies the nomination of Justice C. K. Prasad, retired Judge of the Supreme Court of India, as the Chairman of the Press Council of India.

[No. M-22011/3/2014-Press]

ANURAG SRIVASATAVA, Jt. Secy.